

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों हारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

कार्यालय तहसीलदार संघाव संपीटरा (राज) ।

दिनांक । ७।६।०९

क्रमांक १५२६
(७।६।०९)

जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी गंगेश कुमार श्रीना
सुपुत्र/सुपुत्री/धर्मपत्नी श्री उत्तरना लक्ष्मण श्रीना
गांव/नगर भूसावल जिला/डिवीजन डोटा क्षेत्र राजस्थान
जाति/समुदाय झीना का है, जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित

जाति/अनुसूचित आदिम जाति के रूप में मान्यता दी गई है-

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950 S.T
- संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951
- संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) संघ राज्य आदेश, 1951
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1951; बाहरी पुर्णांठन अधिनियम, 1960; पंजाब अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970; उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुर्णांठन अधिनियम, 1971); और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधन किए गये अनुसार।
- संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- संविधान (अण्डमान निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जाति आदेश, 1950
- संविधान (दादर तथा नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) उत्तर प्रदेश आदेश, 1967
- संविधान (गोआ, दामन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- संविधान (गोआ, दामन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968
- संविधान (नागरिंद) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970



और/अथवा उसका

श्री/श्रीमती/कुमारी उत्तरना लक्ष्मण श्रीना
परिवार गांव/नगर भूसावल जिला/डिवीजन डोटा

राज्य/संघ/गृह्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यता रहता है।

का उपर्युक्त नीचे लागला लिया
स्थान- गृहिणी ज्यौरि है अभी है।

४० तहसीलदार
तहसील (माहर)
लालोहा लोटपोहा (लालोहा)

- यहां उन शब्दों को काट दीजिए जो लग्न नहीं होते।

विळेश- यहां पर प्रयुक्त 'सामान्यता रहता है', का अर्थ वही होगा जो प्रतिनिधि अधिनियम, 1950 की घास 20 में है।

16/6/09

द्वारा सत्यापिता

५. ४०२५